पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । पत्रावली में दिनांक 18.12.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 व प्रार्थना पत्र अपील अबैट होन से खारिज किये जाने बाबत् पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 तेजसिंह का स्वर्गवास दिनांक 3.2.2018 को हो गया है जिसकी जानकारी दिनांक 17.12.2018 को जरिये अधिवक्ता हुई जिस पर अपीलांटस तेजसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 मय धारा 5 मियाद अधि0 के दिनांक 17. 12.2018 को प्रस्तुत किया है ।

रेस्पो0 द्वारा एक आवेदन पत्र बाबत् अपील अबैट हो चुकी है जिसे खारिज किये जाने हेतु दिनांक 17.12.2018 को पेश कर कथन किया कि रेस्पो0 संख्य 1 तेजसिंह का स्वर्गवास दिनाक 3.2.2018 को हो चुका है जिसकी विधिवत् सूचना आवेदन पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.4.2018 को ही अपील पत्रावली पर प्रस्तुत कर दी गई है इसके बाद अपीलांटस द्वारा बार–बार कायम–मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय लिया गया है परन्तु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु मियाद अधि0 के अंतर्गत 90 की अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा अपील अबैट हो चुकी है तथा अबैटमेंट को सेटे–साईट करने हेतु भी आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है न अबैटमेंट सेटे–साईट चाहा गया है तथा दोनों अपीलांटस एवं मृतक तेजसिंह सगे चाचा भतीजे है जिससे अपीलांटस को मृत्यृ की पूर्ण जानकारी रही है तथा रेस्पो0 संख्या 1 तेजसिंह इकलौते रेस्पो0 है । राजस्थान सरकार फोर्मल पक्षकार है। ऐसी स्थिति में इकलौते रेस्पो0 की मृत्यु होने से अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी है । अतः अपील अपीलांटस अबैटमेंट के आधार पर खारिज की जावे । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांटस ने रेस्पो0 के उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब भी पेश नहीं किया है ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं दोनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र व अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस तथा एकमात्र रेस्पो0 तेजसिंह चाचा भतीजे है तथा तेजसिंह की मृत्यु की जानकारी अपीलांटस का नहीं हो यह संभव नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 17.4.2018 को रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा रेस्पो0 तेजसिंह की मृत्यु की सूचना मय मृत्यु प्रमाण पत्र के न्यायालय हाजा में पेश की गई है । इसके उपरांत दिनांक 17.5.2018, 21.6.2018 की पेशियों पर अपीलांटस द्वारा मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु समय चाहा गया है ।

विधि अनुसार तेजसिंह के स्वर्गवास दिनांक 3.2.2018 से 90 दिवस की अवधि दिनांक 6.5.2018 को समाप्त होती है किन्तु उक्त अवधि तक अपीलांटस को तेजसिंह की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही समयावधि में नहीं की गई है तथा इसके पश्चात् भी दिनांक 17.12.2018 को जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का पेश किया है किन्तु अपीलांटस द्वारा अबैटमेंट सेट–असाईट करने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 का प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि कानूनन अबैटमेंट की कार्यवाही समयावधि में नहीं किये जाने से अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी है ।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाता है तथा रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील अबेट करने बाबत् स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अबैट होने से खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।